# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 592/2025**

भारत भूषण मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राज. जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली।
4. प्रभारी, सीएचसी टोडाभीम जिला करौली।
5. रामराज मीणा, नर्सिंग ऑफिसर, सीएचसी सुरवाल, सवाईमाधोपुर।
6. बिंदू, महिला स्वास्थ्य कर्मचारी/एएनएम उप केंद्र पीपल का बास, पीएचसी सोनसार, मलसीसर, झुंझुनू, चिकित्सा अधिकारी इन चार्ज जरिये।

–प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 20.01.2025
**आदेश की दिनांक** : 12.02.2025

**उपस्थित –**
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, कैवियटर

**समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की तरफ से संशोधित अपील प्रस्तुत कर उसे रिकॉर्ड पर लेने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना। संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 12–8–2009 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खेडला, तह. महवा जिला दौसा में प्रत्यर्थी विभाग के अधीन हुई थी। अपीलार्थी का कार्य सदैव उत्कृष्ट रहा है। अपीलार्थी पदस्थापन विवरण के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पदस्थापित रहा है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन पर कार्य कर रहा था कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा आदेश दिनांक 15–1–2025 जारी किया गया। उक्त आदेश द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सीएचसी टोडाभीम, करौली से सीएचसी सुरवाल सवाईमाधोपुर एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 का स्थानान्तरण सीएचसी सुरवाल सवाईमाधोपुर से सीएचसी टोडाभीम, करौली

अपीलार्थी के स्थान पर कर दिया। आदेश दिनांक 15–1–2025 में अपीलार्थी का नाम कम संख्या 520 पर एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम कम संख्या 519 पर अंकित है। (अनुलग्नक–1) आदेश दिनांक 15–1–2025 बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के केवल मात्र प्रत्यर्थी संख्या 5 को इच्छित स्थान पर पदस्थापित करने के लिए जारी किया गया है अन्यथा उक्त आदेश जारी करने का कोई औचित्य एवं आधार नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 5 पूर्व में भी सीएचसी टोडाभीम, करौली में लम्बे समय तक संविदा कार्मिक पदस्थापित रह चुका है अब पुनः प्रत्यर्थी संख्या 5 का सीएचसी टोडाभीम, करौली में पदस्थापन किया गया है जो प्रत्यर्थी विभाग की दुर्भावना को दर्शित करता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार बनाम राज्य सरकार व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि किसी अन्य कार्मिक को अकोमोडेट करने के लिए यदि अन्य कार्मिक का स्थानान्तरण किया गया है तो उक्त स्थानान्तरण आदेश दुर्भावनापूर्ण एवं विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी की पत्नी कमलाबाई मीना नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सीएचसी टोडाभीम करौली में पदस्थापित है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण पत्नी के पदस्थापन स्थान से 150 किलोमीटर दूर कर दिया गया। (अनुलग्नक–2) आलौच्य आदेश दिनांक 15–1–2025 राजस्थान पंचायती राज क्रियाकलाप नियम 2011 के नियम 8 (3) की अवहेलना में बिना पंचायती राज विभाग की सहमति के जारी किये जाने के कारण निरस्तनीय है। अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में भरत भूषण मीना अंकित किया गया है जबकि अपीलार्थी के सेवा रिकार्ड में नाम भारत भूषण मीना है जैसाकि उसके पूर्ववती स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13–2–2019 में अंकित है। (अनुलग्नक–3 व 4)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि आलौच्य आदेश दिनांक 15–1–2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सीएचसी टोडाभीम, करौली में ही उसको वहाँ मिलने वाले वेतन–भत्ते व अन्य लाभों सहित कार्यरत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओ को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 को चुनौती दी गई है। जिसके द्वारा अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सीएचसी टोडाभीम, करौली में कार्यरत है। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा सीएचसी टोडाभीम, करौली से सीएचसी सुरवाल सवाईमाधोपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी का नाम आलौच्य आदेश में भारत भूषण मीना के स्थान पर भरत भूषण मीना अंकित होना टंकण त्रुटि है। इसे प्रत्यर्थी विभाग द्वज्ञरा सही किया जावे। पारिवारिक परेशानियों के लिए अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु सदैव स्वतंत्र है।

जहां तक पंचायती राज विभाग से सहमति का विषय है, आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि चिकित्सा मंत्री को पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रकार आवंटित है। मंत्रीमंडल सचिवालय की विज्ञप्ति दिनांक 15.03.2024

से यह स्पष्ट है कि चिकित्सा मंत्री को पंचायती राज के अधीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रकार आवंटित किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि सक्षम सहमति के पश्चात आलौच्य आदेश प्रसारित किया गया है। आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी को समंजन करने की तरफ से स्थानान्तरण करने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है। आलौच्य आदेश में हम नियमों का उल्लघंन या कोई दुर्भावना नहीं पाते है।

अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने के आधार पर खारिज की जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर निस्तारित किया जाता है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**